



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05082026-275230
CG-DL-E-05082026-275230

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 643]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 5, 2026/श्रावण 14, 1948

No. 643]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 5, 2026/SHRAVAN 14, 1948

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अगस्त, 2026

सं. 20/2026-सीमा शुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 707(अ).— जहां कि चीन जनवादी गणराज्य, कोरिया गणराज्य और थाईलैंड में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित तथा भारत में आयातित “थैलिक एनहाइड्राइड” (एतस्मिन् पश्चात् जिसे विषयगत वस्तु से संदर्भित किया गया है), जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतस्मिन् पश्चात् जिसे सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद 2917 35 00 के अंतर्गत आती है, के मामले में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी ने अपने अंतिम निष्कर्षों में, जिसे अधिसूचना संख्या 7/26/2025-डीजीटीआर, दिनांक 7 मई, 2026 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग I, खंड 1 में प्रकाशित किया गया था, अन्य बातों के साथ-साथ इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि चीन जनवादी गणराज्य और कोरिया गणराज्य से पाटन जारी रहा है तथा लागू प्रतिपाटन शुल्क के समाप्त होने की स्थिति में पाटन और घरेलू उद्योग को क्षति के जारी रहने या पुनरावृत्ति होने की संभावना है, और चीन जनवादी गणराज्य तथा कोरिया गणराज्य में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित विषयगत वस्तु के आयात पर प्रतिपाटन शुल्क लगाना जारी रखने की सिफारिश की है।

अतः अब, सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आकलन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18, 20 और 23 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप-धारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 43/2021-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 9 अगस्त, 2021, जिसे सा.का.नि. 543(अ), दिनांक 9 अगस्त, 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, का अधिक्रमण करते हुए, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई अथवा न की गई बातों को छोड़ते हुए, केन्द्रीय सरकार, उक्त विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के उपर्युक्त अंतिम निष्कर्षों पर विचार करने के पश्चात्, एतद्वारा, विषयगत वस्तु, जिसका विवरण नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट है, जो कि उक्त सारणी के कॉलम (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद के अंतर्गत आती है, कॉलम (4) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देशों में मूलतः उत्पादित है, कॉलम (5) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देशों से निर्यातित है, कॉलम (6) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट उत्पादकों द्वारा उत्पादित है तथा भारत में आयातित है, पर कॉलम (7) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट राशि के बराबर की दर से, कॉलम (9) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट मुद्रा में और कॉलम (8) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट माप इकाई के अनुसार प्रतिपाटन शुल्क लगाती है, अर्थात्:—

सारणी

क्र. सं.	टैरिफ मद	माल का विवरण	मूलतः उत्पादन का देश	निर्यातक देश	उत्पादक	राशि	माप इकाई	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	2917 35 00	थैलिक एनहाइड्राइड	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य सहित कोई भी देश	कोई भी उत्पादक	40.08	एम टी	यूएस डी
2	-वही-	-वही-	चीन जनवादी गणराज्य और कोरिया गणराज्य को छोड़कर कोई भी देश	चीन जनवादी गणराज्य	कोई भी उत्पादक	40.08	एम टी	यूएस डी
3	-वही-	-वही-	कोरिया गणराज्य	कोरिया गणराज्य सहित कोई भी देश	कोई भी उत्पादक	140.17	एम टी	यूएस डी
4	-वही-	-वही-	चीन जनवादी गणराज्य और कोरिया गणराज्य को छोड़कर कोई भी देश	कोरिया गणराज्य	कोई भी उत्पादक	140.17	एम टी	यूएस डी

2. इस अधिसूचना के अंतर्गत लगाया गया प्रतिपाटन शुल्क सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक (यदि इससे पहले इसे वापस नहीं लिया जाता है, इसका अधिक्रमण नहीं होता है, या इसमें संशोधन नहीं होता है तो) लागू रहेगा और इसका भुगतान भारतीय मुद्रा में करना होगा।

स्पष्टीकरण. - इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए ऐसे प्रतिपाटन शुल्क की गणना के प्रयोजन हेतु लागू विनिमय दर वही दर होगी जो कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना, जिसे सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय-समय पर जारी किया गया हो, में विनिर्दिष्ट की गई होगी और इस विनिमय दर के निर्धारण की संगत तारीख वह तारीख होगी जो कि उक्त सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 46 के अंतर्गत आगम पत्र में प्रदर्शित होगी।

[फा. सं. सीबीआईसी -190349/51/2026-टीआरयू]

मो. आदिल अशरफ, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE**(Department Of Revenue)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 5th August, 2026

No. 20/2026-Customs (ADD)

G.S.R. 707(E).— Whereas, in the matter of “Phthalic Anhydride” (hereinafter referred to as the subject goods) falling under tariff item 2917 35 00 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act), originating in or exported from People’s Republic of China, Republic of Korea and Thailand, and imported into India, the designated authority in its final findings, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, section 1 *vide* notification No. 7/26/2025-DGTR, dated the 7th May, 2026 has *inter alia* come to the conclusion that dumping from People’s Republic of China and Republic of Korea has continued and that the cessation of the anti-dumping duty in force is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry, and has recommended continued imposition of anti-dumping duty on imports of the subject goods originating in or exported from People’s Republic of China and Republic of Korea.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the Customs Tariff Act read with rules 18, 20 and 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 and in supersession of the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 43/2021-Customs (ADD), dated the 9th August, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i) *vide* number G.S.R. 543(E), dated the 9th August, 2021, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, after considering the aforesaid final findings of the designated authority, hereby imposes on the subject goods, the description of which is specified in column (3) of the Table below, falling under the tariff item of the First Schedule to the Customs Tariff Act as specified in the corresponding entry in column (2), originating in the countries as specified in the corresponding entry in column (4), exported from the countries as specified in the corresponding entry in column (5), produced by the producers as specified in the corresponding entry in column (6), and imported into India, an anti-dumping duty at the rate equal to the amount specified in the corresponding entry in column (7), in the currency as specified in the corresponding entry in column (9) and as per the unit of measurement(UOM) specified in the corresponding entry in column (8) of the said TABLE, namely:-

TABLE

S. No.	Tariff Item	Description of Goods	Country of Origin	Country of Export	Producer	Amount	UOM	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	2917 35 00	Phthalic Anhydride	People’s Republic of China	Any country including People’s Republic of China	Any Producer	40.08	MT	USD
2	-do-	-do-	Any country other than People’s Republic of China and Republic of Korea	People’s Republic of China	Any Producer	40.08	MT	USD
3	-do-	-do-	Republic of Korea	Any country including Republic of Korea	Any Producer	140.17	MT	USD
4	-do-	-do-	Any country other than People’s Republic of China and Republic of Korea	Republic of Korea	Any Producer	140.17	MT	USD

2. The anti-dumping duty imposed under this notification shall be effective for a period of five years (unless revoked, superseded, or amended earlier) from the date of publication of this notification in the Official Gazette and shall be payable in Indian currency.

Explanation.—For the purposes of this notification, the rate of exchange applicable for the purposes of calculation of such anti-dumping duty shall be the rate which is specified in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), issued from time to time, in exercise of the powers conferred by section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and the relevant date for the determination of the rate of exchange shall be the date of presentation of the bill of entry under section 46 of the said Act.

[F. No. CBIC-190349/51/2026-TRU]

Md. ADIL ASHRAF, Under Secy.